हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–44/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 25

हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011

(विधानसभा मे पुरःस्थापित रूप में)

अपराधों की कतिपय श्रेणी के शीघ्र विचारण और अंतर्वलित सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण के लिए विशेष न्यायालायों के गठन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

हिमाचल प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 (ग) के अर्थ के अंतर्गत लोकपद धारित करने वाले कुछ व्यक्तियों और कुछ लोक सेवकों के मध्य भ्रष्टाचार बोधगम्य है;

और, सरकार को ऐसी रिर्पोटें और अभिकथन प्राप्त हुए हैं और इसके पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि इनमें से कुछ में वास्तविकता हो सकती है और ऐसे कुछ व्यक्तियों ने, जिन्होंने लोक पद धारित किए हैं या धारित कर रहें हैं और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

की धारा 2(ग) के अर्थ के अतंर्गत लोक सेवक हैं, भ्रष्ट साधनों को अपानाकर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अननुपात में अत्याधिक सम्पत्ति संचित की है;

और, ऐसे भ्रष्ट आचरण में संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अनुचित साधनों से प्राप्त परिसम्पत्तियों का लाभ उठाने के लिए अनुज्ञात न किया जाए तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसी परिसम्पत्तियां जो अधिहृत की जाएं और उन्हें जनहित मे लोक प्रयोजन के लाभकारी प्रयोग हेतु उपयोग हुआ है, सरकार की बाध्यता है ।

और, विद्यमान विधिक विरचना, उन अभियोजनों से उत्पन्न हुए विचारणों के शीघ्र समापन के लिए अपर्याप्त जान पड़ती है जिससे कि उपर्युक्त अपराधियों का विचारण अधिकतम शीघ्रता से किया जा सके तथा संसदीय लोक तन्त्र और भारत के संविधान के द्वारा या अधीन सृजित संस्थानों के दक्ष संचालन के लिए लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरणों को रोकने के लिए प्रभावी रोकथाम की अनिवार्यता है।

और, उक्त प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता वाले विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाए और कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव करने भी समीचीन होंगे जिनके माध्यम से विचारण किए जाने वाले व्यक्तियों के दोषी होने या निर्दोष होने के अन्तिम अवधारण में परिहार्य देरी को ऋजु विचारण के अधिकार के साथ हस्तक्षेप किए बिना, निरस्त कर दिया जाए और भ्रष्टाचार के इस ग्रहण को समाप्त करने के लिए अंतरिम प्रकृति के प्रभावी रोकथाम के उपाय किए जाएं ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) अधिनियम, 2011 है ।

2. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से, धारा 10 के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा कर कोई न्यायिक अधिकारी अभिप्रेत है और जो सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है या रहा है;

(ख) ''संहिता'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है;

(ग) ''किसी अपराध के सम्बन्ध में घोषणा'' से धारा 5 के अधीन की गई घोषणा अभिप्रेत है;

(घ) ''अपराध'' से आपराधिक अवचार का अपराध अभिप्रेत है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के लागू होने को, या तो स्वतन्त्र रूप से या उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अथवा भारतीय दण्ड सहिंता के किसी उपबन्ध के साथ सयोंजन से, आकृष्ट करता है;

(ङ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है; और

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नही हैं किन्तु संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में या उक्त अधिनियम में उनके हैं।

3. **विशेष न्यायालयों की स्थापना.**—(1) राज्य सरकार अपराधों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उतने न्यायालय अभिहित करेगी जितने विशेष न्यायालय होने के लिए समुचित समझे जाएं ।

(2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले न्यायाधीश द्वारा की जाएगी ।

(3) विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्देशन के लिए कोई भी व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न हो या न रहा हो।

4. **विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान.**—विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेगा और ऐसे मामलों का विचारण करेगा जो इसके समक्ष संस्थित किए जाएं ।

5. **इस अधिनियम के अधीन निपटाए जाने वाले मामलों की घोषणा.**—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी अपराध के किए जाने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है, जो किसी, व्यक्ति द्वारा किया गया अधिकथित है, जिसने लोक पद धारित किया है या धारण कर रहा है और जो हिमाचल प्रदेश राज्य में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय, 1988 की धारा 2 (ग) के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक है या रह चुका है, तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में उस प्रभाव की घोषणा करेगी ।

(2) उप धारा (1) के अधीन की गई घोषणा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी ।

(3) संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा के पश्चात्, अपराध के सम्बन्ध में कोई भी अभियोजन विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से सम्बन्धित है जिसके बारे में पहले ही अभियोजन संस्थित हो चुका है और उससे सम्बन्धित कार्यवाहियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित है, तो ऐसी कार्यवाहियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी ।

6. **विशेष न्यायालयों की अधिकारिता.**—किसी विशेष न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति, जिसके द्वारा किसी ऐसे अपराध का किया जाना अधिकथित है, का विचारण करने की अधिकारिता होगी, जिसके सम्बन्ध में चाहे कर्ता षड़यन्त्रकारी या दुष्प्रेरक के रूप में, धारा 5 के अधीन घोषणा

की गई है और उन सभी पर संहिता के अनुसार एक ही विचारण में संयुक्त रूप से विचारण किया जाएगा ।

7. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्ति.—(1) विशेष न्यायालय, ऐसे मामलों के विचारण में, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाए संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के साथ असंगत न हो, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में लागू होगें और उक्त उपबन्धों के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक समझे जाएंगे ।

(3) विशेष न्यायालय, स्वयं द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति पर, अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध है, के दण्ड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकेगा ।

8. विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील.—(1) विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश की अपील, तथ्यों और विधि दोनों पर, केवल हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में ही होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाए विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश पर कोई अपील या पुनरीक्षण किसी न्यायालय में नहीं होगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, विशेष न्यायालय के निर्णय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, प्रस्तुत की जाएगीः

परन्तु यदि उच्च न्यायालय, का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्त्ता के पास विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा ।

9. विशेष न्यायालय विचारण स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं.—(1) विशेष न्यायालय किसी भी प्रयोजन हेतु, तब तक किसी विचारण का स्थगन नहीं करेगा, जब तक कि उसकी राय में, ऐसा स्थगन, न्याय के हित में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आवश्यक न हो ।

(2) विशेष न्यायालय, मामले के विचारण का, उसके संस्थित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा।

(3) धारा 3 के अधीन नियुक्त पीठासीन न्यायाधीश, अपने पूर्वाधिकारी या पूर्वाधिकारियों द्वारा अभिलिखित या अपने पूर्वाधिकारी या पूर्वाधिकारियों द्वारा भागतः अभिलिखित और भागतः स्वयं अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा ।

10. सम्पत्ति की कुर्की हेतु आवेदन.—(1) जहां राज्य सरकार के पास, प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति, जिसने लोक पद धारण किया है या धारण कर रहा है या जो लोक सेवक रहा है, ने अपराध किया है, तो राज्य सरकार, चाहे विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, लोक अभियोजक को, इस अधिनियम के अधीन धन और अन्य सम्पत्ति, जिस के सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह विश्वास है कि उसे उक्त व्यक्ति

ने अपराध करके प्राप्त किया है, की कुर्की करने हेतु, प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन–

(क) के साथ एक या एक से अधिक शपथपत्र, दिए जाएंगे, जिसमें (जिनमें) उन आधारों, जिन पर यह विश्वास आधारित है कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है और धन की राशि तथा अन्य सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का, जिसके बारे में यह विश्वास है कि उनको अपराध करके प्राप्त किया गया है, का विवरण दिया जाएगा ।

(ख) में किसी ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति की तत्समय अवस्थिति के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई जानकारी, भी अन्तर्विष्ट होगी और इस संदर्भ में सुसंगत समझी गई अन्य विशिष्टियां, यदि आवश्यक हों, दी जाएंगी ।

11. कुर्की के लिए नोटिस.–(1) इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रभावित व्यक्ति' कहा गया है) पर एक नोटिस की तामील करेगा; और उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि, जो साधारणतया तीस दिन से कम नहीं होगी, के भीतर उसकी आय, उपार्जन या परिसम्पतियों जिनमें या जिनके द्वारा उसने ऐसा धन या सम्पत्ति अर्जित की है के स्त्रोतों को उपदर्शित करने, साक्ष्य जिस पर वह विश्वास करता है तथा अन्य सुसंगत सूचना और विशिष्टियां उपदर्शित करने और कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि क्यों न ऐसा समस्त या अन्य धन या सम्पत्ति अथवा दोनों को अपराध करके अर्जित की गई घोषित किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा कुर्क किया जाए ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दिया गया नोटिस, किसी धन या सम्पत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित किया गया विनिर्दिष्ट करता है वहां, ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी नोटिस की एक प्रति की तामील की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलेख (रिकार्ड) पर लाए गए साक्ष्य, सूचना और विशिष्टयों के खण्डन के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में अवसर दिया जाएगा :

परन्तु ऐसा खण्डन, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध की अवधारणा और न्याय निर्णय हेतु विचारण तक सीमित रहेगा ।

12. कतिपय मामलों में सम्पत्ति की कुर्की.–(1) प्राधिकृत अधिकारी, धारा 11 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तथा उसके समक्ष उपलब्ध तथ्यों (मैटिरयलज) पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति (और यदि प्रभावित व्यक्ति ने नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित की है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन, परिसम्पत्तियां या सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है ।

(2) जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट कुछ धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध करके अर्जित किए गए है परन्तु विनिर्दिष्ट धन या सम्पत्ति या दोनों की पहचान करने में समर्थ नहीं है, तब प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धन, या सम्पत्ति या दोनों, जो उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार, अपराध करके अर्जित की गई है, को विनिर्दिष्ट करेगा और तद्नुसार, उपधारा (1) के अधीन निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा ।

(3) जहां प्राधिकृत अधिकारी, इस धारा के अधीन इस प्रभाव का कोई निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन, परिसम्पत्तियां या सम्पत्ति या वे समस्त, अपराध करके अर्जित किए गए हैं तो वह यह घोषणा करेगा कि ऐसा धन या वे सम्पत्ति या दोनों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, अपराध से सम्बद्ध विचारण के लम्बित होने के दौरान राज्य सरकार से संलग्न रहेगें ।

(4) इस अधिनियम के अधीन, धन या सम्पत्ति या दोनों की कुर्की हेतु प्रत्येक कार्यवाही, का धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन पारित कुर्की का आदेश, धारा 15 के अधीन अपील में पारित आदेश, यदि कोई है, के अध्यधीन, अन्तिम होगा और किसी भी अन्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा ।

13. सम्पत्ति का अधिहरण.—(1) जहां विचारण न्यायालय में, किसी व्यक्ति के विरूद्व अपराध सिद्व हो जाता है वहां प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के कारण बताओ नोटिस की तामील करेगा कि क्यों न समस्त या ऐसी कुछ सम्पत्तियों का अधिहरण राज्य सरकार को कर दिया जाए ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया नोटिस, किसी सम्पत्ति को, सम्बन्धी सहित ऐसे व्यक्ति की ओर से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित किया गया विनिर्दिष्ट करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी नोटिस की एक प्रति की तामील की जाएगी ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध तथ्य (मैटिरयलज), पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति (और यदि प्रभावित व्यक्ति ने नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित की है, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और कारण बताओ नोटिस के ऐसे उत्तर की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर समस्त विल्लंगमों से मुक्त ऐसी सम्पत्ति का राज्य सरकार को अधिहरण करने का लिखित में आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन, किसी कम्पनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिकृत होता है (होते हैं), तब कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 या कम्पनी के सगंम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, तत्काल राज्य सरकार को ऐसे शेयर (रों) के अतंरिती के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी।

(5) इस अधिनियम के अधीन धन या सम्पत्ति या दोनों के अधिहरण हेतु प्रत्येक कार्यवाही का, उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश, धारा 15 के अधीन अपील में पारित आदेश, यदि कोई है, के अध्यधीन, अन्तिम होगा और किसी भी अन्य न्यायालय में प्रश्नगत नही होगाः

परन्तु यदि अधिहृत सम्पत्ति का बाजार मुल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया है, तब सम्पत्ति अधिहृत नहीं की जाएगी ।

14. कतिपय मामलों में अंतरण का अकृत और शून्य होना.—जहां इस अधिनियम की धारा 11 और 13 के अधीन, नोटिस जारी किए जाने के पश्चात्, उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति या दोनों को किसी भी ढंग से अन्तरित किया गया है, ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए शून्य होगा, और तत्पश्चात, यदि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों, राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के अधीन कुर्क या अधिहृत किए जाते है, तब, ऐसे धन या सम्पत्ति या दोनों का अन्तरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

15. अपील.—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, उस तारीख से जिसको वह आदेश पारित किया गया था, तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन की गई किसी अपील पर, ऐसे पक्षकारों को, जैसे यह उचित समझे, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत कोई अपील, इसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अद्यिमानतः छह मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी, और किसी अपील में पारित रोक आदेश, यदि कोई हो, अपील के निपटारे की विहित अवधि से परे प्रवर्तन में नहीं रहेगा ।

16. कब्जा लेने की शक्ति.—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अधिहृत की गई है, वहां सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित व्यक्ति के साथ—साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या सम्पत्ति या दोनों है, उनका कब्जा सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करेगा; परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर और इस बात का समाधान होने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत सम्पत्ति में निवास कर रहा है, तो वह उसे, वहां से तुरन्त बेदखल करने के बजाए, राज्य सरकार को बाजार किराए के संदाय पर, विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी सीमित अवधि के लिए, इसका अधिभोग करने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति सम्पति का खाली कब्जा परिदत्त करेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या पालन करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, सहायता करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा अध्यपेक्षित कर सकेगा तथा ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करना ऐसे पुलिस अधिकारी का बाध्यकर कर्तव्य होगा ।

17. कतिपय मामलों में धन या सम्पत्ति का प्रतिदाय.—जहां किसी प्रभावित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है या इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के अधीन किया गया कुर्की या अधिहरण का कोई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति को धन या सम्पत्ति या दोनों वापस किए जाएगें और यदि किसी कारणवश सम्पत्ति वापस करना सभंव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार कुर्क किए गए या अधिहृत किए गए धन सहित उसके मूल्य को, उस पर, यथास्थिति, कुर्की या अधिहरण की तारीख से संगणित, 6 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, करके संदत्त किया जाएगाः

परन्तु धन या सम्पत्ति या दोनों की वापसी ऐसी शर्तों के अध्यधीन हो सकेगी, जैसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऐसी सम्पत्ति के अन्यसंक्रामण की बाबत उच्च न्यायालय के समक्ष दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील लम्बित रहने तक, जैसे प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे आदेश पारित करने हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अवधारित करे, राज्य द्वारा किसी आवेदन पर, अधिरोपित की जा सकेगी ।

18. विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना.—इस अधिनियम के अधीन जारी या तामील की गई सूचना, की गई कोई घोषणा और पारित किया गया कोई आदेश, यदि ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति इस प्रकार वर्णित वर्णन से पहचान लिए जाने योग्य है, तो उसमें वर्णित सम्पत्ति या व्यक्ति के वर्णन में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

19. अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.—इस अधिनियम की धारा 8 और 15 में यथा उपबंधित के सिवाए, और किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के अधीन कुर्की किए जाने या अधिह्रत किए जाने हेतु आदेशित किसी धन या सम्पत्ति या दोनों की बावत किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अनुरक्षणीय नहीं होगी ।

20. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी ।

21. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम, यदि कोई हों, जैसे यह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि, उस सत्र में

जिसमें वे इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं नियमों में उपांतरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नही होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलिकरण उसके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

22. धारा 3 के अधीन अधिसूचाओं और धारा 5 के अधीन घोषणाओं का रखा जाना.—इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना और धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, उनके जारी करने या घोषित करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

23. अध्यारोही प्रभाव.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध किसी असंगति की दशा में, अभिभावी होगें ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ऐसी रिर्पोटें और अभिकथन है कि लोक पद धारण करने वाले कुछ व्यक्तियों ने और जो लोक सेवक हैं, ने भ्रष्ट साधनों को अपनाकर, अत्यधिक सम्पत्ति, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की अपेक्षा अननुपातिक है, अर्जित कर ली है और ऐसा विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि इनमें से कुछ में वास्तविकता हो सकती है । ऐसे भ्रष्ट आचरणों में संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करना और यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि इस प्रकार गलत ढंग से प्राप्त किया गया धन और सम्पत्ति कुर्क और अद्यिहृत हो तथा इसे लोक हित में लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाए । इसके अतिरिक्त ऐसा पाया गया है कि विद्यमान विधिक ढांचा, लोक पदों पर भ्रष्ट आचरणों को नियंत्रित करने के लिए, ऐसे लोक सेवकों और लोक पद धारित करने वाले व्यक्तियों के समयबद्ध रीति में विचारण के लिए अपर्याप्त है । इसलिए ऐसी विशेष विधि लाने का विनिश्चय किया गया जो विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के साथ–साथ लोक पदों को धारण करने वाले ऐसे व्यक्तियों या लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट आचरणों को अपनाकर संचित किए गए धन और सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण हेतु उपबन्ध करें। विधान, अपराधों के कतिपय वर्गों के शीघ्र विचारण और गलत ढंग से प्राप्त की गई सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने के लिए प्रस्ताव करता है। जिला और सत्र न्यायाधीश या

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की पंक्ति के हिमाचल प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, जिनके पास इस रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश होंगे। इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालय, विचारण को एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेंगे तथा विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरूद्व अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी । विधान, यह भी प्रस्ताव करता है कि यदि राज्य सरकार प्रथमदृष्टया आश्वस्त है कि किसी लोक सेवक ने अपराध करके धन और सम्पत्ति संचित की है, तो विशेष न्यायालय को, संबन्धित लोक सेवक की सम्पत्ति की कुर्की हेतु, विशेष न्यायालय द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक, आवेदन किया जा सकेगा ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)

शिमलाः मुख्य मन्त्री।

तारीख.....2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, अन्य बातों के साथ–साथ राज्य में, सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करने का उपबन्ध करता है। इस प्रकार विधेयक के उपबंध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय नहीं होगा ।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 21 इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्योजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 25 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH SPECIAL COURTS (ATTACHMENT AND CONFISCATION OF PROPERTY) BILL, 2011

A

BILL

to provide for the constitution of Special Courts for the speedy trial of certain class of offences and for attachment and confiscation of the properties involved and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, corruption is perceived to be amongst some persons holding public offices and some public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Himachal Pradesh;

AND, WHEREAS, the Government receives such reports and allegations and has sufficient reasons to believe that some of these may have substance and that some such persons, who have held or are holding public offices and are public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988, have accumulated vast property, disproportionate to their known sources of income by resorting to corrupt means;

AND, WHEREAS, it is obligation of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and to ensure that they are not allowed to enjoy the fruit of their ill gotten assets and also to ensure that such assets are confiscated and put to fruitful use for public purpose in public interest;

AND, WHEREAS, the existing legal framework is perceived to be inadequate to bring the trials arising out of those prosecutions to a speedy termination so that the aforesaid offenders should be tried with utmost despatch, and effective deterrence to curb corrupt practices on the part of public servants is imperative for the efficient functioning of a parliamentary democracy and the institutions created by or under the Constitution of India;

AND, WHEREAS, it is necessary for the said purpose to designate Special Courts to be presided over by the Judicial Officers and it is also expedient to make some procedural changes whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or innocence, of the persons to be tried, is eliminated without interfering with the right to a fair trial and to take effective deterrent measures of an interim nature to curb the menace of corruption.

———

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Special Courts (Attachment and Confiscation of Property) Act, 2011.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "authorised officer" means any Judicial Officer belonging to Himachal Pradesh Higher Judicial Service and who is or has been Sessions Judge or Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the Himachal Pradesh High Court for the purpose of section 10;

(b) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973;

(c) "declaration" in relation to an offence, means a declaration made under section 5;

(*d*) "offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of clause (e) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act,1988 either independently or in combination with any other provision of the said Act or any of the provision of Indian Penal Code;

(e) "Special Court" means a Special Court established under section 3; and

(f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or the Prevention of Corruption Act,1988, shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the said Act.

3. Establishment of Special Courts.—(1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offences, by notification published in the Official Gazette, designate as many Courts as considered adequate to be the Special Courts.

(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the Himachal Pradesh High Court.

(3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Himachal Pradesh Higher Judicial Service and is or has been a Sessions Judge or Additional Sessions Judge, at least for the period of 3 years.

4. Cognizance of cases by Special Court.—A Special Court shall take cognizance of offence and try such cases as are instituted before it.

5. Declaration of cases to be dealt with under this Act.— (1) If the State Government is of the opinion that there is *prima-facie* evidence of the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988, in the State of Himachal Pradesh, the State Government shall make a declaration to that effect in every such case.

(2) The declaration made under sub-section(1) shall not be called in question in any court.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code or any other law for the time being in force, after declaration is made under sub-section (1), any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court.

(4) Where any declaration made under sub- section (1) relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a court other than Special Court under the Prevention of Corruption Act 1988, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act.

6. Jurisdiction of Special Courts.—A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under section 5, either as principal conspirator or abettor and all of them shall be jointly tried therewith at one trial in accordance with the Code.

7. Procedure and powers of Special Courts.— (1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code and the Prevention of Corruption Act, 1988 shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the person conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) A Special Court may pass, upon any person convicted by it, any sentence authorised by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

8. Appeal against orders of Special Court.—(1) An appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court only to the High Court of Himachal Pradesh both on facts and law.

(2) Save as provided under sub-section(1), no appeal or revision shall lie in any Court from any judgment, sentence or order of a Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of sixty days from the date of judgment of a Special Court:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period.

9. Special Court not bound to adjourn a trial.— (1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice and for reasons to be recorded in writing.

(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institution.

(3) A Presiding Judge appointed under section 3 may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by him.

10. Application for attachment of property.— (1) Where the State Government, on the basis of *prima-facie* evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and or has been a public servant, has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorise the Public Prosecutor for making an application to the authorised officer for attachment under this Act of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by commission of the offence.

(*2*) An application under sub-section (1)—

(*a*) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by commission of the offence; and

(*b*) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context.

11. Notice for Attachment.—(1) Upon receipt of an application made under section 10 of this Act, the authorised officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereinafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by commission of the offence and be attached by the State Government.

(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the authorised officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the Special Court:

Provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the Special Court under this Act.

12. Attachment of property in certain cases.—(1) The authorised officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 11 and the materials available before it, and after giving to the person affected (and in case the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money, assets or property in question have been acquired illegally.

(2) Where the authorised officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by commission of the offence, but is not able to identify specifically such money or property or both, then it shall be lawful for the authorised officer to specify the money or property or both which, to the best of his judgment, have been acquired by commission of the offence and record a finding accordingly, under sub-section (1).

(3) Where the authorised officer records a finding under this section to the effect that any money, assets or property or all of them have been acquired by commission of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Act, stand attached to the State Government during the pendency of the trial relating to offence.

(4) Every proceeding for attachment of money or property or both, under this Act, shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub-section(1) of section 11.

(5) The order of attachment passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 15, be final and shall not be called in question in any Court of law.

13. Confiscation of property.—(1) Where the commission of offence is proved against any person in the trial court, the authorised officer shall, serve a notice upon such person of not less than fifteen days to show cause as to why all or any of such properties should not be confiscated to the State Government.

(2) Where a notice issued under sub-section(1) specifies any property as being held on behalf of such person including a relative by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) The authorised officer may , after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under sub-section(1) and the materials available before it , and after giving to the person affected(and in case the person affected holds any property

specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, and within fifteen days from the date of receipt of such reply to the show cause notice, pass an order in writing confiscating such property to the State Government free from all encumbrances.

(4) Where any share(s) in a Company stand confiscated to the State Government under this Act, then, the Company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956 or the Articles of Association of the Company, forthwith register the State Government as the transferee of such share(s).

(5) Every proceeding for confiscation of money or property or both, under this Act, shall be disposed of within a period of one month from the date of service of the notice under sub-section(1).

(6) The order of confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 15, be final and shall not be called in question in any Court of law:

Provided that if the market price of the property confiscated is deposited with the authorised officer, the property shall not be confiscated.

14. Transfer to be null and void in certain cases.—Where after the issue of a notice under section 11 or 13 of this Act, any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act, be void, and if such money or property or both are subsequently attached or confiscated by the State Government under section 12 or 13 of this Act, as the case may be, then the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void.

15. Appeal.— (1) Any person aggrieved by any order of the authorised officer under this Act may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed.

(*2*) Upon any appeal preferred under this section the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.

(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed of preferably within a period of six months from the date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal.

16. Power to take possession.—(1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Act, the concerned authorised officer shall order the person affected, as well as any other person, who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the concerned authorised officer or to any person duly authorised by him in this behalf,

within thirty days of the service of the order; provided that the authorised officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of dispossessing him immediately from the same, permit him to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to the State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the authorised officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the authorised officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section (1), requisition the service of any police officer to assist and it shall be the bounden duty of such police officer to comply with such requisition.

17. Refund of money or property in certain cases.—Where the person affected is acquitted by the Special Court or an order of attachment or confiscation made under section 12 or 13 of this Act is modified or annulled by the High Court in appeal , the money or property or both shall be returned to such person and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so attached or confiscated with interest at the rate of six percent per annum thereon, calculated from the date of attachment or confiscation, as the case may be:

Provided that return of money or property or both may be subject to such conditions as may be imposed by the authorised officer on an application by the State, regarding alienation of such property pending appeal against acquittal before the High Court, as the authorised officer may determine after recording the reasons for passing such order.

18. Notice or order not to be invalid for error in description.—No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act, shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from the description so mentioned.

19. Bar to other proceedings.—Save as provided in sections 8 and 15 of this Act, and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be attached or confiscated under section 12 or 13 of this Act.

20. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

21. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule.

22. Notification under section 3 and declaration under section 5 to be laid.— Every notification issued under sub-section (1) of section 3 and every declaration made under sub-section (1) of section 5 of this Act shall be laid, as soon as may be after they are made, before the State Legislature.

23. Overriding effect.—Notwithstanding anything contained in the Prevention of Corruption Act, 1988 or any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail in case of any inconsistency.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

There are reports and allegations that some persons holding public offices and who are public servants, have acquired vast property, disproportionate to their known source of income by resorting to corrupt means and there are sufficient reasons to believe that some of these may have substance. It is the duty of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and ensure that such ill gotten money and property is attached and confiscated and put to use for public purposes in public interest. Further, it is felt that the existing legal frame work is inadequate to try such public servants and persons holding public offices in a time bound frame work so as to curb corrupt practices in public offices. As such, it has been decided to bring a special law which may provide for speedy trial of such offences by the Special Courts and for attachment and confiscation of the money and property accumulated by resorting to corrupt practices by such persons holding public offices and public servants. The legislation proposes for constitution of Special Courts for quick trial of certain categories of offences and attachment and confiscation of ill gotten properties. The members of Himachal Pradesh Higher Judicial Service of the rank of District and Sessions Judge or Additional District and Sessions Judge, with at least three years of experience shall be presiding Judge of such Courts. Further, the Special Courts shall endeavour to dispose of the trial within the period of one year and appeal against the orders of the Special Court shall lie to the High Court. The legislation further proposes that if the State Government is convinced prima facie that a public servant has amassed wealth and properties by committing the offence, an application may be made to the

Special Court for attachment of the properties of the concerned public servant till the final disposal of the case by the Special Court.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA:
The ....., 2011

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill provides interalia to designate the Courts of Sessions Judge and Additional Sessions Judges in the State, as Special Courts. As such, the provisions of the Bill, if enacted, will be implemented through existing Government machinery and there shall be no additional expenditure from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.